(8)

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमन्द
(बृजमोहन बैरवा आर0ए0एस0 द्वारा अध्यासित)

पंचायत रिविजन संख्याः— 45 / 2017
दायर दिनांक :— 13.09.2017
निर्णय दिनांक :— 28.03.2018

अनवान

1. श्री नारू पिता उदा रेगर निवासी आंजना तहसील देवगढ जिला राजसमन्द
2. श्री नैना पिता उदा रेगर निवासी आंजना तहसील देवगढ जिला राजसमन्द

प्रार्थीगण / निगराकार

बनाम

1. श्री भैरूलाल पिता रूपा रेगर निवासी आंजना तहसील देवगढ जिला राजसमन्द
2. सरपंच ग्राम पंचायत आंजना पंचायत समिति देवगढ तहसील देवगढ जिला राजसमन्द

विपक्षीगण / गैर निगराकार

निगरानी विरूद्व ग्राम पंचायत आंजना के द्वारा जारी पटटा संख्या 19 दिनांक 10.09.1982 को निरस्त करने बाबत।

उपस्थित :—

1—श्री अतुल पालीवाल, ,अधिवक्ता प्रार्थीगण / निगराकार
2—श्री जितेन्द्र पालीवाल, अधिवक्ता ,विपक्षीगण / गैर निगराकार

—:: निर्णय ::

प्रार्थी / निगराकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी याचिका में निवेदन किया हैं कि अधिनस्थ ग्राम पंचायत आंजना द्वारा पटटा संख्या 19 दिनांक 10.09.1982 को विपक्षी संख्या एक को जारी किया गया है। उक्त पटटा बिलानाम गैर काबिल कास्त किस्म रास्ते की भूमि में जारी किया गया । जारी किया गया उक्त पटटा निरस्त योग्य है। अतः निगराकार की निगरानी स्वीकार फरमाई जाकर विपक्षी सख्या एक के पक्ष में जारी पटटा संख्या 19 दिनांक 10.09.1982 को निरस्त फरमाया जावे।

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी याचिका को दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं अधिनस्थ ग्राम पंचायत का रिकार्ड तलब किया गया।

विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण / निगराकर द्वारा प्रार्थी संख्या एक की मृत्यु हो जाने से उसके हिस्से की कार्यवाही ड्रोप किये जाने सम्बन्धी

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया । जिससे विपक्षी के अधिवक्ता द्वारा स्वीकार कर लिया गया ।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई । प्रार्थीगण/निगराकार के अधिवक्ता द्वारा बहस में अवगत कराया कि विपक्षी संख्या दो ग्राम पंचायत द्वारा विपक्षी संख्या एक के पक्ष में जारी पटटा संख्या 19 दिनांक 10.09.1982 को जारी किया गया वह विधि विरूद्व है। तत्कालीन सरपंच ने अपने व्यक्तिगत लाभ के कारण फर्जी रूपेण पटटे जारी किये गये है। विपक्षी संख्या एक जिस जगह का अपना पटटा होना बताकर निर्माण कार्य करवा रहा है। वह आबादी की जगह नहीं होकर के बिलानाम गैर काबिल कास्त किस्म रास्ते की भूमि है। जिसके खसरा नम्बर 645 रकबा 0.13 बिस्वा है। उक्त भूमि रास्ते की भूमि पर विपक्षी अपना पटटा होना बता रहा है एवं पटटे को देखने से भी लगता है कि रास्ते की जगह का ही पटटा जारी किया गया है। ग्राम पंचायत को पटटे जारी करने का अधिकार है लेकिन उसे कानूनी मर्यादा में रहते हुये नियमों का पालन करते हुये पटटे जारी करने का अधिकार है। वह भी आबादी वाली जगह में पटटे जारी किये जा सकते है। इसके लिये पहले पटवारी रिपोर्ट आवश्यक हैं,उसके पश्चात उक्त प्रकरण को पंचायत की कोरम में रखा जाता है। कोरम में बहुमत से प्रस्ताव पास होने पर पास होने पर नियमानुसार शुल्क जमा होता है। उसके बाद पटटा जारी किया जा सकता है। शुल्क को रोकड बही में दिखाना पडता है। पटटा की प्रोसिडिंग रजिस्टर में प्रोसिड किया जाता हैं ,तब जाकर के पटटा जारी किया जाता है। जारी शुदा पटटे की एक प्रति पंचायत में रहती हैं यहां पर पंचायत में पटटे की प्रति उपलब्ध नहीं हैं यही सन्देह उत्पन्न करता हैं कि या तो तत्कालीन सरपंच ने स्वार्थवश फर्जी पटटा जारी किया या विपक्षी संख्या एक स्वयं ने पटटा तैयार किया हैं या सरपंच व विपक्षी संख्या एक ने मिलकर के उक्त फर्जी पटटा केवल रास्ते की जमीन को हडपने के लिये बनाया है। जिसे निरस्त किया जाना आवश्यक है। विपक्षी संख्या 1 के पटटे की शिकायत होने पर तहसीलदार द्वारा जांच करने पर पाया कि दिया गया पटटा रास्ते की भूमि का हैं जिसे निरस्त करवाने हेतु सक्षम न्यायालय में निगरानी प्रस्तुत करे। विपक्षी संख्या एक जिस जगह पर निर्माण कर रहा है एवं अपना पटटा होना बता रहा है उसके पूर्व दिशा में प्रार्थी के खेत है यानि कि प्रार्थीगण निगराकार की खातेदारी जगह है। जिसके खसरा नम्बर 642 ,643, 644 हैं के पश्चिम में रास्ता स्थित हैं उक्त रास्ते की जगह पर विपक्षी पटटे के आधार पर जमीन को हडपना चाह राह है एवं निर्माण करा रहा हैं जबकि उसे ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं है। अतः निगराकार /प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी को स्वीकार फरमाया जाकर विपक्षी संख्या दो द्वारा विपक्षी संख्या एक के पक्ष में जारी पटटा संख्या 19 दिनांक 10.09.2018 को निरस्त फरमाया जावे।

अधिवक्ता विपक्षीगण/गैर निगराकार ने अपनी बहस में अवगत कराया कि ग्राम पंचायत आंजना द्वारा विपक्षी संख्या एक को जो पटटा जारी किया गया हैं । जारी किया गया पटटा विधि अनुसार हैं । प्रार्थीगण/ निगराकार ने बिना जानकारी के ही यह निगरानी अपील प्रस्तुत कर दी है। अतः निगराकार की निगरानी अस्वीकार फरमाई जावे।

उभय पक्ष की व गैर निगराकार की बहस पर गहन मनन किया जाकर प्रकरण में गुणावगुण के आधार पर विचार किया गया व पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों का अवलोकन किया गया । तहसीलदार की रिपोर्ट से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत को आबादी भूमि पर ही पटटे जारी करने का अधिकार है। ग्राम पंचायत द्वारा जारी किये गये पटटे रास्ते की भूमि पर है। अतः ग्राम पंचायत आंजना के द्वारा जारी पटटा संख्या 19 दिनांक 10.09.1982 को निरस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है।

:: आदेश ::

प्रार्थीगण/निगराकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी याचिका/अपील स्वीकार की जाती है। ग्राम पंचायत आंजना के द्वारा जारी पटटा संख्या 19 दिनांक 10.09.1982 को निरस्त किया जाता है।

(बृजमोहन बैरवा)
अति0 जिला कलक्टर
राजसमन्द

निर्णय आज दिनांक 28.03.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(बृजमोहन बैरवा)
अति0 जिला कलक्टर
राजसमन्द